न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 11/2019

अनवान :–

1. धर्मपाल पुत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

सायल

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

असल गैरसायल

2. कुरडाराम पुत्र शंकरलाल जाति जाअ निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
3. शारदा पत्नी बलवीर जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
4. सन्दीप कुमार पुत्र बलवीर जाति जाट निवासी राजपुररिया तहसील नोहर।
5. मोनिका पुत्री बलवीर जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।

–गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अभिभाषक, सायल
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक : 03/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 27/31 के प0न0 366/404(56) के किलर ल9 19/2 की 0.1260 ,20/2 की 0.1270 ,21/0.2530 ,22/0.2530 ,प0न0 365/404(57) के किला न0 16/0.2530 ,25/0.2530 ,प0न0 265/406(59) के किला न0 5/0.228हैक्ट प0न0 366/406(60) के किला न0 1/1 की 0.227 ,2/1 की 0.228 ,3/1 की 0.228 ,प0न0 0 मु0न0 65 के किला न0 27/2 की 0.1010हक्ट गै0मु0खाला कुल 2.2770हैक्ट भूमि स्थित है जिसके प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 184/174 के प0न0 366/404(56) के किला न0 16/0.228 ,17 ,18/0.506 ,19/1 की 0.127 ,20/1 की0.1260 ,23 ,24/0.506 ,25/0.227 ,प0न0 0 मु0न0 73 के किला न06/0.0510हैक्ट गै0मु0रास्ता कुल 1.771हैक्ट भूमि स्थित है जो सिवाय चक काबिल काश्त भूमि है

प्रार्थी व तरतीबी प्रतिवादी अपने खेत में आने जाने के लिये गांव से चलकर स्वीकृत रास्ता से होकर चक 12 जेएसएन के प0न0 366/404(56) के किला न0 23 ,24 ,25 में से होते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर [illegible] में प्रवेश करते है यही रास्ता सबसे नजदीकी एवं सुविधाजनक है [illegible] का उपयोग कर रहे है

प्रार्थी/सायल के उक्त रास्ता से [illegible] अपने खेत में आ[illegible] करते आ रहे है किन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है मौके पर चालू है [illegible] उक्त रास्ता को स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:35:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः प्रार्थी/सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 12 जेएसएन के प0न0 366/404(56) के किला न0 23, 24 ,25 में से पूर्व से पश्चिम एक एक गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी/सायल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया सायल ने निवेदन किया की तरतीबी गेरसायल का अनुतोष सायल के अनुतोष में निहित होने के कारण तलबी की आवश्यकता नही है अप्राथी/गैरसायल संख्या 1 की ओर से पेराकार राज उपस्थित आकर निवेदन किया की सायल राजकीय भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है सायल को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है अन्य रास्ता सायल पाने का अधिकारी नही है सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज करने के उपरान्त पेराकार राज ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षां की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल व तरतीबी गैरसायल/अप्रार्थीगण रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 27/31 की कुल 2.2770 के सयुक्त खातेदार काश्तकार है सायल एवं तरतीबी गैरसायल अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये कोई स्वीकृत रास्ता नही है सायल व तरतीबी गैरसायल/अप्रार्थीगण रोही मौजा चक 12 जेएसएन के प0न0 366/404(56) के किला न0 23 ,24 ,25 में से होकर अपने खेत में प्रवेश करते है उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में अराजीराज दर्ज है जिसमें से रास्ता स्वीकृत करवाने के अधिकारी है सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की सायल एव तरतीबी अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के निकटतम दुरी पर परलीका 7 राजपुरिया सडक है जो मौके पर बनी हुई है केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है सायल परलीका –राजपूरिया सडक से मु0न0 57 के किला न0 15/2 में बनी है से किला न0 16 में प्रवेश करता है यही रास्ता सबसे नजदीकी एवं सुविधाजनक है सायल अन्य रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही है मात्र राजकीय भूमि हडप करने के लिय रास्ता की मांग कर रहा है जबकि सायल को पूर्व से ही छोटा एवं सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध हे सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार

रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 27/31 के प0न0 366/404(56) के किलर ल9 19/2 की 0.[illegible] ,21/0.2530 ,22/0.2530 ,प0न0 365/404(57) के किला न0 [illegible] 265/406(59) के किला न0 5/0.228हैक प0न0 366[illegible] न0 1/1 की 0.227 ,2/1 की 0.228 ,3/1 की 0.228 ,प0न0 0 मु0न0 65 के किला न0 27/2 की 0.1010हक गै0मु0खाला कुल 2.2770हैक भूमि स्थित है जिसके प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:35:18 IST
Reason: SelfAttested

..2

उपखण्ड अधिकारी

रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 184/174 के प0न0 366/404(56) के किला न0 16/0.228 ,17 ,18/0.506 ,19/1 की 0.127 ,20/1 की0.1260 ,23 ,24/0.506 ,25/0.227 ,प0न0 0 मु0न0 73 के किला न06/0.0510हैक्ट गै0मु0रास्ता कुल 1.771हैक्ट भूमि स्थित है जो सिवाय चक काबिल काश्त भूमि है।

प्रार्थी व तरतीबी प्रतिवादी का कथन है कि अपने खेत में आने जाने के लिये गांव से चलकर स्वीकृत रास्ता से होकर चक 12 जेएसएन के प0न0 366/404(56) के किला न0 23 ,24 ,25 में से होते हुए पूर्व से पश्चिम चलकर अपने खेत में प्रवेश करते है यही रास्ता सबसे नजदीकी एवं सुविधाजनक है एव वर्तमान में इसी रास्ता का उपयोग कर रहे है

पेरोकार राज का कथन है सायल एव तरतीबी गैरसायलान को मौक पर मु0न0 57 के किला न0 15/2 में परलीका– राजपूरिया सडक बनी हुई है मु0न0 57 के किला न0 16 में प्रवेश कर अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश वर्तमान में कर रहे हे इसी रास्ता का उपयोग सायल करते आ रहे है जब सायल को छोटा रास्ता उपलब्ध है तो सायला बिना अधिकारी बडा रास्ता राजकीय भूमि में पाने का अधिकारी नही है।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट पेरोकार राज के कथनों की पुष्टि करती है कि मु0न0 57 में परलीका – राजपुरयिा सडक मौक पर बनी हुई और चालू मात्र सडक का राजस्व रिकार्ड में अंकन नही है अर्थात सायल को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये परलीका –राजपुरिया सडक से किला न0 16 में प्रवेश करने के लिये रास्ता उपलब्ध है जहॉ से वर्तमान में आवागमन कर रहे है

सायल ने तीन किलो जो कि राजस्व रिकार्ड में अराजीराज दर्ज है में से रास्ता चाहा जा रहा है जबकि सायल को केवल एक किला रास्ता से ही अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश कर सकता है जब छोटा रास्ता उपलब्ध है जो अराजीराज भूमि में से रास्जा चाहने का कोई औचित्य नही है ना ही सायल ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया जिससे अराजीराज भूमि में से रास्ता पाने का अधिकारी हो एवं आवश्यक हो ।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो चुका है कि सायल को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये छोटा एवं सुविधाजनक राजस्व परलीका –राजपुरिया सडक से पूर्व से प्राप्त है जिससे आवागमन कर रहा है सायल अन्य बडा रास्ता अराजीराज भूमि में पाने का अधिकारी नही है।

अतः साक्ष्य सबुतों के आधार एव मौका रिपोर्ट के अनुसार सायल को पूर्व से रास्ता उपलब्ध होने के कारण सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:35:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)